ई मित्र पर उपलब्ध प्रमुख सेवाएं और उनकी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरें –

क्र.सं.	सेवाएँ	शुल्क (रू.)
डिजिटल राशन कार्ड सेवाएं		
1.	नये राशन कार्ड के लिए आवेदन	30
2.	सदस्य का नाम जुड़वाना/सदस्य का नाम हटवाना एवं अन्य सुधार करवाने हेतु आवदेन	20
3.	डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए आवेदन	20
4.	राशन कार्ड निरस्त करने हेतु आवेदन	15
5.	नये/डुप्लीकेट राशन कार्ड को पूर्व मुद्रित स्टेशनरी पर रंगीन प्रिंट करनाएवं बुकलेट में स्टैपल करना	20
डिजिटल जन्म/मृत्यु सेवाएं		
6.	जन्म एवं मृत्यु डिजीटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र	10
7.	जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन	10 से 30
डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र सेवाएँ		
8.	मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन	15
9.	जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन	15
10.	अल्पसंख्यकों के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन	15
11.	डिजिटल हस्ताक्षरित मूल निवास/जाति/अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करना	15
12.	डिजिटल हस्ताक्षरित मूल निवास/जाति/अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्लास्टिक कार्ड पर जारी करना	30
आधार सेवाएँ		
13.	आधार नामांकन	नि:शुल्क
14.	बायोमैट्रिक अपडेशन	15
15.	जनसांख्यिक अपडेशन	15
16.	EID जानकारी	10
17.	आधार आवदेन में EID,UID बैंक खाते की सूचना जुडवाने की सेवाएं	3+ सेवा शुल्क
भामाशाह सेवाएँ		
18.	नवीन भामाशाह परिवार नामांकन	नि:शुल्क
19.	नये सदस्य का नाम जुडवाना	नि:शुल्क
20.	भामाशाह आवेदन में Bank Account की सूचना जुड़वाने की सेवाएं	नि:शुल्क
जन उपयोगी सेवाएं		
21.	पानी/बिजली के बिल जमा करना	नि:शुल्क
22.	एलईडी का वितरण	100 रू. प्रति एलईडी
पुलिस विभाग की सेवाएं		
23.	किरायेदार सत्यापन के लिए आवेदन	30
24.	घरेलू नौकर का सत्यापन	30
25.	चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आवेदन	30
26.	पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन	30
रोजगार विभाग की सेवाएं		
27.	बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन	50
28.	रोजगार पंजीकरण हेतु आवदेन	30
29.	रोजगार पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु आवेदन	30
कृषि विभाग की सेवाए		
30.	बीज/उर्वरक/कीटनाशक के अनुदान के लिए इनपुट लाईसेंस के लिए आवेदन	30
31.	खेत, तालाब, डिग्गी, पाइपलाइन फार्म पौण्ड पर अनुदान के लिए आवेदन	30
32.	छात्राओं (कृषि विषय) को प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन	30
33.	फसल मौसम बीमा सम्बन्धित जानकारी	30

E-Mail– 9001aasif@gmail.com

Mohammad Asif मो. न. +91-9413609001 Anand Nagar, Sumerpur Dist-Pali (Raj.) PIN-306902

समाज कल्याण विभाग की सेवाएं		
34.	सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का वार्षिक सत्यापन	10
35.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों की पुत्री के विवाह के लिए अनुदान हेतु आवेदन	30
36.	विकलांगता प्रमाण पत्र	30
अन्य सेवाएं		
37.	स्वच्छ भारत अभियान के लिए आवेदन	20
38.	पिछडी जाति की छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण के लिए आवेदन पत्र	30
39.	पेन कार्ड के लिए ऑन-लाइन आवेदन	107
40.	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमाण पत्र हेतु पंजीकरण आवेदन एवं शुल्क जमा करवाना	15 से 50
41.	राजसंपर्क पोर्टल पर शिकायतों का पंजीकरण	10
42.	सूचना का अधिकार-प्रार्थना पत्र	5 से 15
43.	राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों की भर्ती परीक्षाओं एंव प्रवेश परीक्षाओं की फीस जमा करना	5 से 10
44.	राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों की भर्ती परीक्षाओं एवं प्रवेश परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन फार्म भरना	10 से 30
45.	खान एवं भूविज्ञान विभाग की विभिन्न विभागीय राजस्व यथा डेडरेन्ट, रॉयल्टी, आवेदन शुल्क इत्यादि जमा कराने की सेवा	10 से 50

भामाशाह योजना :- एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए नारी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने हेतु एवं महिलाओं के सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन एवं राजकीय सेवाओं के लाभ के प्रभावी वितरण हेतु भामाशाह योजना लागू की गई।

क्या मिलता है ?

- पेंशन, नरेगा, छात्रवृति, जननी सुरक्षा योजनाओं की सहायता/राशि बिना किसी विलम्ब के सीधे बैंक खाते में जमा होती है।
- ग्रामीण क्षेत्र जहा बैंकिग सुविधा नहीं है, वहां लाभार्थी घर के आस-पास बैकिंग संवादकर्ता/अटल सेवा केन्द्र/ई-मित्र केन्द्र पर उपलब्ध माइक्रों एटीएम मशीन से बैंक द्वारा जारी किए गए एक्टिव रूपे कार्ड/एटीएम कार्ड से रुपये निकाल सकते है। यदि लाभार्थी के खाते में आधार संख्या दर्ज है तो माईक्रो एटीएम पर अंगूठा निशानी से भी रूपये निकाल सकते हैं।
- भामाशाह कार्ड परिवार के पहचान एवं निवास (पता) के दस्तावेज के रूप में मान्य।
- भामाशाह कार्ड जारी होने पर बीपीएल/स्टेट बीपीएल/अन्नपूर्णा परिवार को एक मुश्त 2000 रुपये की सहायता मिलती है।

कब मिलता है ? -

- सभी सरकारी योजनाओं की सहायता/राशि घर के नजदीक शीघ्र प्राप्त करने हेतु परिवार के सभी सदस्यों का भामाशाह नामांकन/सीडिंग शिविरों में
- घर के नजदीक ई-मित्र/अटल सेवा केन्द्र पर।
- विभागीय वेबसाईट पर ऑनलाईन स्वयं भी कर सकते है।
- भामाशाह नामांकन करवाते समय सरकारी योजनाओं जिनसे सहायता/राशि प्राप्त होती है, की जानकारी जैसे:- पेंशन धारक को पीपीओ नम्बर, नरेगा भुगतान हेतु नरेगा जॉब कार्ड, राशन हेतु राशन कार्ड संख्या, बीपीएल सुविधा हेतु बीपीएल कार्ड नम्बर इत्यादि जुड़वाने होते है।

भामाशाह नामांकन कौन करवा सकता है ? -

- राज्य का प्रत्येक परिवार भामाशाह नामांकन करवा सकता है।
- इसके लिए परिवार को 21 वर्ष से अधिक आयु की महिला को मुखिया के रूप में नामांकित करवाना होता है। यदि परिवार में कोई भी महिला नहीं है, तो पुरूष मुखिया हो सकता है।

नामांकन हेतु क्या लाना है -

- परिवार के सभी सदस्यों के अलग अलग फोटो।
- परिवार के मुखिया के कोर बैंक समर्थ खाते की प्रति।
- परिवार के मुखिया व एक अन्य सदस्य का आधार संख्या/आधार नामांकन की रसीद की प्रति।
- ऐसे सभी दस्तावेज जो भामाशाह नामांकन प्रपत्र में उल्लेखित जानकारी से सम्बन्धित है।

जन्म/मृत्यु पंजीकरण

1. जन्म एवं मृत्यु होने पर 21 दिन के अन्दर ग्राम पंचायत में नि:शुल्क पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
2. 21 दिन से 1 वर्ष के भीतर विकास अधिकारी से जन्म/मृत्यु पंजीकरण के लिए आज्ञा पत्र प्राप्त कर पंजीयन किया जायेगा।
3. 1 वर्ष से अधिक होने पर उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार से जन्म/मृत्यु पंजीकरण के लिए आज्ञा पत्र प्राप्त कर पंजीयन किया जायेगा।